न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
109/2020	06.08.2020	20.06.2023

उनवान

1. सुभाषचन्द पुत्र फूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।
2. ममता पुत्री फूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र शिम्भूदयाल जाति अहीर
2. गजानन्द पुत्र बलबीर जाति अहीर
3. रामानन्द पुत्र बलबीर जाति अहीर
4. छोटेलाल पुत्र बलबीर जाति अहीर
5. गिरी पुत्री बलबीर जाति अहीर
6. सविता पत्नी रामावतार जाति अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।
7. उपपंजीयक,नीमराना।
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः–

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ विवादित आराजी है। हम वादीगण के पिता श्री फूलचन्द पुत्र श्री शिम्भूदयाल व प्रतिवादी सं. 01 तथा प्रति वादी सं. 02 लगा0 05 के पिता श्री बलबीर पुत्र भोमराम व प्रतिवादी सं0 06 सभी ने अपनी समस्त खातेदारी की आराजी का आपसी सहमती से विभाजन किया था। जिसका विभाजन पत्र जो पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था उसमे ख.नं. 55/0.70 वाके ग्राम रोडवाल व ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ हम वादीगण के पिता फूलचन्द के हिस्से मे दिये गये थे व ख.नं. 264/0.44,268/0.52,335/0.12 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा प्रतिवादी सं0 01 राजेन्द्र पुत्र शिम्भूदयाल के हिस्से मे दिये गये थे व ख.नं. 254/0.46,241/0.27 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा व ख.नं. 644/0.42 प्रतिवादी सं0 02 लगा0 05 के पिता बलबीर पुत्र भोमा के हिस्से मे दिये गये थे। ख.नं. 243/0.94 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा व ख.नं.644/1618/0.41 वाके ग्राम रोडवाल प्रतिवादनी सं0 06 के हिस्से मे दी गई थी विभाजन पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
2. विभाजन पत्र के आधार पर इंतकाल सं0 143 ग्राम विजयसिंहपुरा व इंतकाल 362 ग्राम रोडवाल भरे जा कर स्वीकृत किये गये जिन इंतकालों मे वादीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

फूलचन्द के हिस्से की भूमि ख.नं. 55/0.70 की खातेदारी तो विभाजन पत्र के आधार सही दर्ज कर दि गई लेकिन ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ बावत कोई इंतकाल पटवारी हल्का द्वारा नही भरा गया इस नं0 की खातेदारी पूर्ववत ही वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी मे दर्ज हो रही है। वादीगण के पिता की मृत्यु होने पर विरासत का इंतकाल वादी के नाम से व बलबीर पुत्र भोमराम के फौत होने पर उनकी विरासत का इंतकाल प्रतिवादी सं. 02 लगा0 05 दर्ज हो कर स्वीकृत हो चुके है। जबकि विभाजन पत्र के अनुसार ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ पर हम वादीगण काबिज काश्त है। वादी सं. 01 को इस बात की जानकारी होने पर की विभाजन पत्र के अनुसार ख.नं. 147 वादीगण के पिता के नाम से दर्ज नही हुआ है इस बाबत एक प्रा0पत्र तहसीलदार साहब को पेश किया जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार आराजी विवादित मृतक के वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है इस लिए वाद दायर करो। इसलिए हम वादीगण को यह वाद दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

3. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:-

(क) डिक्री इस्तकरारहक इस आशय की सादर अता फरमाई जावे कि आराजी ख.नं. हाल 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ तह0 नीमराना पर से प्रतिवादी सं0 01 लगा. 06 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को संभाग मे खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करवाया जावें।

(ख) डिक्री इस आशय की सादीर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी विवादित पर जबरन कब्जा न करे न ही कब्जे काश्त मे मदाहमत मदाखलता पैदा ना करे। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

5. वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि हेतु साक्ष्य मे सुभाषचन्द पुत्र फूलचन्द का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01,भानीसहाय पुत्र चुन्नीलाल का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02,महेश चन्द पुत्र बाबूलाल का शपथ पत्र पी0डब्लू0 03 पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2062-65 प्रदर्श 01,नकल जमाबंदी संवत 2066-69 प्रदर्श 02,नकल इंतकाल सं0 143 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा प्रदर्श 03,नकल जमाबंदी संवत 2060-63 प्रदर्श 04,नकल जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श 05,नकल जमाबंदी संवत 2068-71 प्रदर्श 06,नकल जमाबंदी संवत 2061-64 प्रदर्श 07,नकल जमाबंदी संवत 2065-68 प्रदर्श 08,नकल इंतकाल सं0 372 वाके ग्राम रोडवाल प्रदर्श 09,छायाप्रति प्रा0पत्र मय पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रदर्श 10,छायाप्रति विभाजन पत्र, नकल नोटिस 80 सी0पी0सी0 प्रदर्श 11 पेश किये है।

6. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न छायाप्रति विभाजन पत्र के अवलोकन से साबित की विभाजन पत्र के अनुसार वादी के पिता फूलचन्द के हिस्से मे विजयसिंहपुरा के कुल ख.नं. 06 रकबा 02.75 व उमरावगढ का ख.नं. 147/0.46 दिये गये थे। विभाजन पत्र के अनुसार विजयसिंहपुरा की आराजी का इंतकाल तो वादीगण के पिता के नाम दर्ज हो गया परन्तु उमरावगढ के ख.नं. 147/0.46 का इंतकाल विभाजन पत्र के अनुसार दर्ज नही हुआ इसलिए पूर्व खातेदारी के अनुसार ही सहखातेदारी मे दज रहा। बलबीर पुत्र भोमराम के फौत होने पर उसकी विरासत का इंतकाल प्रतिवादी सं0 02 लगा0 05 के पक्ष मे दर्ज व मंजूर हो गया। जबकि विभाजन पत्र के अनुसार ख0नं0 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ विभाजन पत्र के अनुसार वादीगण के पिता

पद अधिकारी
राना (अलवर)

फूलचन्द की खातेदारी मे दर्ज होना चाहिए था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एंव गवाहन के शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का वाद बाखुबी साबित होता है। वाद वादीगण डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

7. अतः आदेश है कि:—

वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उगरावगढ तह. नीमराना का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादी सं0 01 लगा0 06 के नाम खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जा कर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

20/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या
109/2020

रजू दिनांक
06.08.2020

निर्णय दिनांक
20.06.2023

उनवान

1. सुभाषचन्द पुत्र फूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।
2. ममता पुत्री फूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।

वादीगण।

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र शिम्भूदयाल जाति अहीर
2. गजानन्द पुत्र बलबीर जाति अहीर
3. रामानन्द पुत्र बलबीर जाति अहीर
4. छोटेलाल पुत्र बलबीर जाति अहीर
5. गिरी पुत्री बलबीर जाति अहीर
6. सविता पत्नी रामावतार जाति अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तह0 नीमराना।
7. उपपंजीयक,नीमराना।
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः–

1. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांकः 20.06.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण बाबत इस्तकरारहक एकपक्षीय डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 147/0.46 वाके ग्राम उमरावगढ तह. नीमराना का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तथा हाल जमाबंदी मे जो अमल प्रतिवादी सं0 01 लगा0 06 के नाम खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जा कर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

20/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)